vuqyXud&2.1
n/k ds miHkksx rFkk okLrfod izkfIr esa varj
¼iSjkxzkQ 2.2.4.2 ¼ii½ ds lanHkZ esa½

(मात्रा लीटर में)

ekg rFkk o"kZ	dsUæh; dkjkxkj&1		dsUæh; dkjkxkj&2		dsUæh; dkjkxkj&3		t-dk-jk-		varj	izfr yhVj nj	/kujkf'k (₹ esa)
	izkIr o Hkqxrku dh xbZ ek=k	miHkksx dh xbZ ek=k	izkIr o Hkqxrku dh xbZ ek=k	miHkksx dh xbZ ek=k	izkIr o Hkqxrku dh xbZ ek=k	miHkksx dh xbZ ek=k	izkIr o Hkqxrku dh xbZ ek=k	miHkksx dh xbZ ek=k			
मार्च-10	7106	4708.60	11702	11152.63	12368	5853.25	6890	5765.30	10586.22	16.20	171497
मार्च-11	7403	4923.25	10518	10191.18	13328	5365.45	6134	5283.00	11620.12	18.80	218458
मार्च-12	6648	4370.90	10702	10333.65	8916	4765.75	5877	5132.00	7540.70	23.49	177131
मार्च-13	7141	4488.15	10507	10090.13	9351	4532.45	6390	5910.00	8368.27	23.00	192470
मार्च-14	6539	5418.45	9012	8628.70	10805	5383.20	8291	7000.65	8216.00	22.40	184038
dqy	**34837**	**23909.35**	**52441**	**50396.29**	**54768**	**25900.10**	**33582**	**29090.95**	**46331.31**		**943594**

vuyXu&2-2
,e-ih-yMl o ,e-,y-,-yMl dh fn'kkfunZ'kksa dk iko/kkuksa dk rqyukRed fooj.k
¼ijkxkQ 2-4-2 dk lnHkZ e½

Ø-l-	,e-ih-yMl dk iko/kku	,e-,y-,-yMl esa fLFkfr
iLrkoksa dh iLrqfr		
1	संसद सदस्यों के लिए जिला प्राधिकारी के समक्ष जाँच व तकनीकी/वित्तीय प्रशासकीय अनुमोदन हेतु प्रस्ताव जमा करने के लिए प्रस्तावों की प्रस्तुति हेतु एक समुचित निर्धारित प्रारुप है जिसमें निर्माण कार्य का नाम व प्रकृति स्थान व अनुमानित लागत का उल्लेख हो।	प्रस्तावों की प्रस्तुति हेतु कोई विनिर्दिष्ट प्रारुप व प्रक्रिया योजना दिशानिर्देशों में नहीं वर्णित है।
ifj;kstukvksa dh tkap o LohÑfr		
2	जिला प्राधिकारी को अग्रिम रुप में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा प्रस्तावित परिसम्पत्तियों	कार्य की संस्वीकृति के पूर्व क्रियान्वयक एजेंसी/प्रयोक्ता एजेंसी से ऐसा कोई आश्वासन प्राप्त करने का बंधन नहीं है।
3	प्रस्ताव अनुशंसा की प्राप्ति की तिथि से 45 दिनों के भीतर संस्वीकृत किए जाएँ।	योजना दिशानिर्देशों में प्रस्तावों की संस्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा पालन किए जाने हेतु कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है।
4	संस्वीकृति पत्र में निर्धारित समय के भीतर कार्य समाप्त न करने की स्थिति में लागू होने वाले दण्डात्मक उपबन्ध के साथ क्रियान्वयक एजेंसी को कार्य समाप्त करने हेतु एक समय सीमा का अनुबंध किया जाता है।	योजना दिशानिर्देशों में कार्य के क्रियान्वयन हेतु संस्वीकृति पत्र में संस्वीकृति प्रदान करने वाले प्राधिकारी हेतु समयसीमा निर्धारित करने हेतु कोई निर्देश नहीं है।
5	निर्माण कार्य को मंजूरी देने से पूर्व जिला प्राधिकारी को सुनिश्चित करना चाहिए कि इन कार्यों के लिए सभी अनुमोदन सक्षम प्राधिकारियों से प्राप्त हो चुके हैं।	
6	संसद सदस्य से अनुशंसा प्राप्त होने पर और कार्य हेतु संस्वीकृति जारी होने पर जिला प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि संस्वीकृत कार्यों का विवरण क्रियान्वयक एजेंसी द्वारा पर्याप्त रुप से परिकल्पित इनपुट डाटा प्रारुप, मास्टर डाटा प्रविष्टि प्रारुप, मासिक डाटा प्रविष्टि प्रारुप तथा डाटा प्रविष्टि प्रारुप	योजना दिशानिर्देश सक्षम प्राधिकारी द्वारा इनपुट/आउटपुट डाटा के अनुरक्षण की आवश्यकता तथा प्रक्रिया का वर्णन नहीं करता।

Ø-l-	,e-ih-ySM~l dh i ko/kku	,e ,y , ySM~l e fLFkfr
7	जिला प्राधिकारी जाँच कार्यों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी अनुमान, अनुमोदन, निविदा की स्थापित प्रक्रिया का पालन करेगा।	प्रस्तावों की जाँच हेतु कोई विशेष प्रक्रिया परिभाषित नहीं है।
8	प्रत्येक संस्वीकृत कार्य हेतु सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक पहचान संख्या जारी की जाएगी।	विधानसभा सदस्य क्रियान्वयक एजेंसी का चयन करता है।
9	प्रत्येक संस्वीकृत कार्य के लिए जिला प्राधिकारी द्वारा आई.डी. संख्या जारी की जानी थी।	ऐसा कोई प्रावधान नहीं था।
t kjh fuf/k;k rFkk foÙkh; i cU/ku		
10	संसद सदस्य द्वारा सिफारिश किए गए कार्य में सार्वजनिक व सामुदियक योगदान की अनुमति है।	योजना दिशानिर्देशों में इस विषय पर कुछ कहा नहीं गया है।
11	इस योजना के अन्तर्गत जारी की गई निधियों पर अर्जित बैंक ब्याज आगे उपयोग किए जाने हेतु जिला प्राधिकारी हेतु भुगतान किया जाएगा।	योजना दिशानिर्देशों में श.वि.वि द्वारा जारी की गई निधियो पर क्रियान्वयक एजेंसी द्वारा अर्जित ब्याज के उपयोग के संबंध में कोई नीति नहीं हैं।
12	एम पी लैड्स के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान किए गए आकस्मिकता व्यय हेतु एक पृथक खाता रखा जाएगा तथा संबंद्ध संसद सदस्य को लेखापरीक्षा द्वारा की गई जाँच के विवरण उपलब्ध कराए जाने के अलावा इसकी सूचना दी जाती रहेगी।	योजना दिशानिर्देश में श.वि.वि. तथा क्रियान्वयक एजेंसी द्वारा आकस्मिकता व्यय का खाता रखने हेतु कोई प्रक्रिया परिभाषित नहीं है।
13	क्रियान्वयक एजेंसियों द्वारा मंत्रालय से प्राप्त निधियाँ केवल राष्ट्रीकृत बैंक के बचत खाते में ही रखा जाएगी।	योजना दिशानिर्देशों में योजनागत निधियों को जमा करने हेतु पृथक खाता / खाते के प्रकार संबंधी कोई विशिष्ठ विनिर्दिष्ट अनुबंध नहीं है। योजनागत निधि बचत खाते में रखने की कोई पाबंदी नहीं है।
y[kkdu i fØ;k		
14	जिला प्राधिकारी भी एम पी लैड्स की निधियों के संसद सदस्यों के क्रम में रखेगा। रोकड़ बही व अन्य लेखा बहियाँ राज्य / संघ प्रदेश की प्रक्रियानुसार रखी जाएगी।	श.वि.वि. द्वारा विधानसभा सदस्यों के क्रमवार लेखों का रखा जाना अनिवार्य नहीं किया गया है।
15	जिला प्राधिकारी भी सभी एम.पी. लैड्स कार्यों हेतु परिसम्पत्ति रजिस्टर में निर्धारित प्रारुप में क्रियान्वित किए गए कार्यों की विभिन्न शीर्षवार सूचियाँ रखेगा।	योजना के दिशानिर्देशों में निर्माण कार्यों के लिए क्षेत्रवार शीर्ष व कोड का प्रावधान नहीं है तथा सृजित परिसंपत्तियों का रिकार्ड रखने के लिए कोई विशिष्ट उल्लेख नहीं है।

Ø-l-	,e-ih-yM l d i ko/kku	,e ,y , yM l e fLFkfr
16	अनुमानित लागत के 50 प्रतिशत तक क्रियान्वयक एजेंसी को अग्रिम तथा शेष उस अग्रिम का 60 प्रतिशत खर्च होने के बाद	योजना दिशानिर्देशों में क्रियान्वयक एजेंसी को अग्रिम रुप में पूर्ण संस्वीकृत राशि जारी करने की अनुमति दी गई है।
17	जिला प्राधिकारी निधियों के लेखे संसद सदस्यों के क्रम में रखेंगे और वार्षिक रुप से लेखापरीक्षा लेखे, रिपोर्ट व प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।	लेखों के रखरखाव व योजनागत निधियों की लेखापरीक्षा हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
vkrfjd fu;=.k i:.kkyh		
18	जिला प्राधिकारी इन कार्यों के समय से व प्रभावी ढंग से क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होगा।	श.वि.वि. को योजनागत कार्यों के समय से व प्रभावी ढ़ंग से क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी नहीं बनाया गया है।
19	जिला प्राधिकारियों द्वारा राज्य सरकार को समुचित ढंग से निर्धारित प्रारुप पर उपयोग प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।	उपयोग प्रमाणपत्र की प्रस्तुति हेतु कोई विनिर्दिष्ट प्रारुप योजना के दिशानिर्देशों में निर्धारित नहीं है।
20	जिला प्राधिकारी प्रतिवर्ष हेतु लेखापरीक्षित लेखों, रिपोर्टों तथा प्रमाणपत्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।	योजनागत निधियों की लेखापरीक्षा हेतु कोई विशिष्ट प्रक्रिया/विधि योजना के दिशानिर्देशों में परिभाषित नहीं है।
21	राज्य सरकार द्वारा राज्य/संघ प्रदेश के महालेखाकार की अनुशंसा पर नियुक्त किए जाने वाले चार्टर्ड अकाउन्टेण्ट्स द्वारा लेखापरीक्षा हेतु एक समुचित रुप से निर्धारित प्रक्रिया है।	योजनागत निधियों की लेखापरीक्षा हेतु कोई विशिष्ट प्रक्रिया/विधि योजना के दिशानिर्देशों में परिभाषित नहीं है।
22	जिला प्राधिकारी और क्रियान्वयक एजेंसी विलम्ब किए बिना परिसम्पत्तियों के प्रयोक्ता एजेंसी को हस्तांतरित करने की व्यवस्था करेंगे। प्रयोक्ता एजेंसी इन्हें इनके सामान्य प्रचालन व अनुरक्षण हेतु अपने खातों में दर्ज करेगी।	श.वि.वि. या क्रियान्वयक एजेंसी को परिसंपत्तियों के प्रयोक्ता एजेंसी को हस्तांतरित करने हेतु उत्तरदायी नहीं बनाया गया है। परिसंपत्तियाँ प्रयोक्ता एजेंसी को हस्तांतरित करने हेतु कोई विनिर्दिष्ट प्रक्रिया नहीं है। प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इन परिसंपत्तियों के प्रयोग के संबंध में कोई विशेष निर्देश नहीं है।
23	निगरानी प्रणाली का प्रावधान है।	योजना के क्रियान्वयन की निगरानी हेतु ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

Ø-l-	,e-ih-yMl d ikko/kku	,e ,y , yMl e fLFkfr
lkoZtfud lpuk i.kkyh		
24	जैसे ही योजनान्तर्गत कोई कार्य समाप्त हो, इसे सामान्य जन के उपयोग हेतु रखा जाए। अधिक जन जागरुकता हेतु एम पी लैडस के अंतर्गत क्रियान्वित सभी जागरुक्ता हेतु एम पी लैड्स के अंतर्गत क्रियान्वित सभी जागरुकता हेतु एम पी लैड्स कार्य लेखयुक्त एक धातु की प्लेट जिस पर इसमें शामिल लागत, कार्य के आरंभ, समाप्ति व उद्घाटन की तिथि तथा संसद सदस्य का नाम दर्शाया गया हो, स्थाई रुप से लगाई जाए।	योजना दिशानिर्देशों में परिसम्पत्तियों का सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करने तथा इन परिसंपत्तियों के लिए निधियों के स्त्रोत के प्रति जन सामान्य को सूचित करने हेतु कोई विशेष निर्देश नहीं है।
25	सभी समाप्त और चल रहे कार्यों को जिला प्राधिकारी जन साधारण की सूचना हेतु प्राधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शन पट्ट पर लगाया जाए और वेबसाईट पर डाला जाए।	सूची सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय में प्रदर्शन हेतु लगाना आवश्यक नहीं किया गया है।

अनुलग्नक 2.3
दि.न.नि. में विभिन्न संवर्गों में स्टाफ की कमी
(पैराग्राफ 2.5.6.1 के संदर्भ में)

क्र.सं.	संवर्ग	स्वीकृत संख्या			वास्तविक संख्या			कमी			कमी का प्रतिशत		
		उत्तर	दक्षिण	पूर्व	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	उत्तर	दक्षिण	पूर्व	उत्तर	दक्षिण	पूर्व
1.	स्वच्छता अधीक्षक	15	12	6	5	4	4	10	8	2	66.66	66	33
2.	मुख्य स्वच्छता निरीक्षक	14	14	8	5	8	2	9	6	6	64.28	42	75
3.	स्वच्छता निरीक्षक	118	113	68	117	108	59	1	5	9	--	4	13
4.	सहायक स्वच्छता निरीक्षक	312	323	181	280	249	130	32	74	51	10.25	23	28
5.	स्वच्छता गाईड	262	279	174	157	236	101	105	43	73	40.08	15	42
6.	सफाई कर्मचारी	17141	13526	8561	13849	9436	7589	3292	4090	972	19.20	30	11

vuqyXud&2-4
vk-d-l- dh ifrfØ;kvksa dk lkjka'k
¼ifjxkQ 2-5-8 ds lnHkZ esa½

Ø-l-	iz'u D;k	ifrfØ;k								
		jkfg.kh {k=			dUæh; {k=			iohZ fn-u-fu-		
		gk¡	ugha	m-u-	gk¡	ugha (%)	m-u-	gk¡	ugha (%)	m-u-
1	सड़कों / गलियों में प्रतिदिन झाड़ू लगता है?	45	35 (43)		20	16 (44)		72	40 (35)	1
2	झाड़ू लगाने के तुरंत बाद कूड़ा उठाया जाता है?	37	43 (53)		15	21 (58)		49	63 (56)	1
3	नाले / नालियाँ प्रतिदिन साफ किए जाते हैं?	16	64 (80)		6	28 (82)	2	36	76 (67)	1
4	नालों से गाद / कचरा सड़कों से तुरंत हटाया जाता है?	16	61 (79)	3	2	34 (94)		38	74 (66)	1
5	कूड़ा घर–घर जाकर उठाया जाता है?	47	31 (39)		15	19 (55)	2	76	36 (32)	1
6	कूड़े–कचरे के लिए मुक्त भण्डारण क्षेत्र हैं?	28	23 (45)	29	24	12 (66)		38	58 (60)	17
7	ढलावों / मुक्त क्षेत्रों से कूड़े–कचरे को रोज उठाया जाता है?	9	38 (80)	33	6	27 (81)	3	29	64 (68)	20
8	कूड़े–कचरे को भराव क्षेत्रों में पहुँचाते समय ढँका जाता है?	11	29 (72)	49	20	14 (41)	2	25	68 (73)	20
9	कूड़ा कचरा उठाने के बाद ढलाव / मुक्त क्षेत्रों को साफ किया / धोया / असंक्रमित किया जाता है?	10	34 (77)	36	7	29 (80)		27	68 (71)	18
10	सी टी सी / मूत्रालय रोज साफ / असंक्रमित किए जाते है?	7	39 (84)	34	1	23 (95)		11	20 (64)	82

vuqyXud&3-1

36 p;fur fo|ky;ksa ds la;qä fujh{k.k ds fu"d"kksZ dk lkjka'k

¼ijkxkQ 3-2-5 (ii) ds lanHkZ esa½

Ø-la-	vuekfnr vuekukas ds vuqlkj iznku dh tkus okyh lqfo/kk,¡	dfe;k¡@nks"k	fo|ky;ksa dh la[;k
1.	प्रसाधन	i) रुके हुए / चोक ii) टोटियों में पानी नहीं iii) टूटा फर्श / पानी का जमाव iv) सीवर लाईन से जुड़ा नहीं	13 6 6 7
2.	पेय जल	i) आर ओ सिस्टम उपलब्ध नहीं ii) शिरोपरि पानी की टंकी उपलब्ध नहीं iii) टूटी / ठीक ढंग से नहीं लगाई गई पानी की टोटियाँ	12 6 2
3.	आर.डब्ल्यू.एच.एस.	i) उपलब्ध नहीं ii) कार्यशील नहीं	13 4
4.	चारदीवारी की मरम्मत / नवीनीकरण	i) नहीं किया गया ii) अपूर्ण / असंतोषजनक कार्य	7 2
5.	खेल के मैदान का उन्नयन	i) उन्नयन नहीं किया गया	12
6.	पुस्तकालय का उन्नयन	i) सुरक्षित प्रणालियों की व्यवस्था नहीं	12
7.	विद्युत प्रणालियाँ	सुरक्षित प्रणालियों की व्यवस्था नहीं	8
8.	विकास कार्य	स्ट्रॉम वाटर नाले, आंतरिक पथ, बागवानी प्रचालन हेतु स्थल श्रेणीकरण नहीं किया गया	17
9	भवन	i) कक्षाओं की छतों से पानी का रिसाव ii) दिवारों में दरार iii) टूटे दरवाजे / बगैर खिड़कियाँ	7 1 3
10	शिक्षण सहायक सामग्री के रुप में निर्माण	शि.स.सा. सम्बन्धी कार्य नहीं किए गए	36
11	अग्नि सुरक्षा	i) कक्षाओँ में दूसरा दरवाजा उपलब्ध नहीं ii) अतिरिक्त सीढियाँ उपलब्ध नहीं iii) डिजाईनदार गेट उपलब्ध नहीं iv) पम्प उपलब्ध नहीं v) पाईप / होज रील उपलब्ध नहीं vi) भूमिगत पानी की टंकियाँ उपलब्ध नहीं vii) अग्निशामक संयंत्र / पानी की बाल्टियाँ उपलब्ध नहीं	3 4 5 6 11 6 2

vuyXud&3.2
ldk; lnL;k dk oru dk rqyukRed fooj.k
¼ijkxkQ 3.4(i) d lnHk e½

in	ekg	ef=eMy }kjk vuekfnr fctul eMy d vulkj vuer ,de'r èkujkf'k ¼,El e vxy mPp in d oru d vkèkkj ij½	lefdr èkujkf'k** ¼fu;fDr i= d vulkj fu;ru½	in/kkjd }kjk okLro e vkgfjr dh xbl èkujkf'k (oru cM- ₹ 37,400 - ₹ 67,000)	
				oru cM e oru rFkk oru inØe	dy /kujkf'k***
प्रोफेसर	फरवरी 2012	₹ 1,47,483	₹ 1,35,930	बै.वे. -₹ 47,100 (न्यूनतम) प.वे. –₹ 12,000	₹ 1,88,368
अतिरिक्त प्रोफेसर	मई 2011	₹ 1,56,983	₹ 1,21,900 (5 अग्रिम अभिवृद्धियों के साथ)	बै.वे. -₹ 59125 प.वे.₹ 10,000	₹ 2,08,318
सह प्रोफेसर	जनवरी 2013	₹ 1,36,578	₹ 1,12,930* (वेतन सुरक्षा के साथ)	बै.वे. -₹ 48,580 प.वे. ₹ 8,900	₹ 1,90,122
सहायक प्रोफेसर	मई 2012	₹ 1,21,470	₹ 1,06,030*	बै.वे. -₹ 37,400 (न्यूनतम) प.वे. ₹ 8,700	₹ 1,67,222
		*(क) एकमुश्त धनराशि में बै.व., प.वे. मँ.भ., म.कि.भ. (30%), शैक्षणिक भत्ता (₹10,000) तथा परिवहन भत्ता व नियोक्ता का भ.नि. अंशदान (ख) वार्षिक अभिवृद्धि 3 प्रतिशत की दर स अनुमत (ग) एकमुश्त धनराशि के परिकलन में राजस्व अंश शामिल नहीं	**धनराशि में बै.व., प.वे., एन पी ए (बै. वे+प.वे. का 25 %), म.भ. (नियत 22%) म.कि.भ. (50%) तथा नियोक्ता की भ.नि. अंशदान इसके अतिरिक्त परिवहन भत्ता तथा बा.शि.भ. सरकारी दिशानिर्देशों के अनुसार अनुमत हैं।	***(क) इस धनराशि में निम्नोक्त शामिल हैं: बै. वे, प.वे., एन पी ए (बैवे.+प.वे. का 25%), मँ. भ., म.कि.भ. (बैवे.+प.वे.+एन पी ए का 50%) बा.शि.भ. (₹ 2,000 अधिकतम), परिवहन भत्ता, शैक्षणिक भत्ता (₹5,00 नियत), अनुसंधान भत्ता (₹ 2,000 नियत) चिकित्सा भत्ता सीपीएफ, टेलीफोन भत्ता, इंटरनेट भत्ता (ख) वार्षिक अभिवृद्धि 7.5 प्रतिशत की दर से	